

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222र 5153223र 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक:-02.11.2021

—: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.08.2020 द्वारा राज्याधीन किये गये महाविद्यालयों में से निम्नलिखित महाविद्यालयों के नाम के सम्मुख अंकित नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम व बजट मद	विषय	पद का नाम	स्वीकृत पद
1.	1.	2.	3.	4.
1.	राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा, जिला- चित्तौड़गढ़ (बजट मद 2202-03-103-02-00)	अर्थशास्त्र	सहायक आचार्य	01
2.	राजकीय महाविद्यालय, बेंगूर, जिला-चित्तौड़गढ़ (बजट मद 2202-03-103-02-00)	इतिहास	सहायक आचार्य	01
		समाजशास्त्र	सहायक आचार्य	01
		भूगोल	सहायक आचार्य	01
		अर्थशास्त्र	सहायक आचार्य	01
		राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य	01
3.	बाबा मोहन राम किसान राजकीय महाविद्यालय, भिवाड़ी जिला-अलवर (बजट मद 2202-03-103-02-00)	स्नातक स्तर-	प्राचार्य	01
		(कला संकाय)-	सहायक आचार्य	22
		हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, (वाणिज्य संकाय)-	पुस्तकालयाध्यक्ष	01
		ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम.	शारीरिक शिक्षक	01
		,व्यावसायिक प्रबन्धन	सहायक लेखाधिकारी-।	01
		स्नातकोत्तर स्तर-	अति. प्रशासनिक अधिकारी	01
		(कला संकाय)-	आशुलिपिक	01
		अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, भूगोल	वरिष्ठ सहायक	01
		(वाणिज्य संकाय)-	कनिष्ठ सहायक	02
		ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम.	प्रयोगशाला सहायक	01
			प्रयोगशाला वाहक	01
			बुक लिफ्टर	01
			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
4.	आईमाता राजकीय कन्या महाविद्यालय, सोजतसिटी, जिला- पाली (बजट मद 2202-03-103-03-00)	स्नातक स्तर	प्राचार्य	01
		(कला संकाय)-	सहायक आचार्य	07
		इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, भूगोल, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य	पुस्तकालयाध्यक्ष	01
			शारीरिक शिक्षक	01
			सहायक लेखाधिकारी-।	01
			अति.प्रशासनिक अधिकारी	01
			आशुलिपिक	01
			वरिष्ठ सहायक	01
			कनिष्ठ सहायक	02
			प्रयोगशाला सहायक	01
			प्रयोगशाला वाहक	01
			बुक लिफ्टर	01
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02		
	कुल योग	63		

(1) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में उक्त नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावे। नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

(2) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।




(2)

(3) वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में विभाग को उपलब्ध बजट प्रावधान से राशि व्यय किये जाने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव बीएफसी के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी.संख्या 102104951 दिनांक 29.10.2021 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जी.बी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल संचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ4(162-II)/विधि/आयो/आकाशि/2015-16(पार्टII)/1944-1958 दिनांक: 12/11/2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जी.बी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक, अकादमिक/एचआरडी/प्रशासन, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. प्राचार्य/नोडल अधिकारी, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
14. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।